

:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार न्योल RAS

मुकदमा नम्बर 31/2023

दायर दिनांक : 23.08.2023

1. अर्जन पिता सोमा मीणा जाति भील उम्र वयस्क निवासी धम्बोला फला नवाघरा तहसील सीमलवाड़ा जिला-डूंगरपुर राज.।
2. गदू पिता सोमा मीणा जाति भील उम्र वयस्क निवासी धम्बोला फला नवाघरा तहसील सीमलवाड़ा जिला-डूंगरपुर राज.।
3. रामचन्द्र पिता सोमा मीणा जाति भील उम्र वयस्क निवासी धम्बोला फला नवाघरा तहसील सीमलवाड़ा जिला-डूंगरपुर राज.।
4. सुखलाल पिता सोमा मीणा जाति भील उम्र वयस्क निवासी धम्बोला फला नवाघरा तहसील सीमलवाड़ा जिला-डूंगरपुर राज.।
5. हलिया पिता सोमा मीणा जाति भील उम्र वयस्क निवासी धम्बोला फला नवाघरा तहसील सीमलवाड़ा जिला-डूंगरपुर राज.।

—प्रार्थीगण

बनाम

श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर राज.।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री श्रवण रावल अधिवक्ता प्रार्थी।
2. पेरोंकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: आदेश ::

दिनांक 23/07/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के कब्जे स्वामित्व व मालिकाना हक की भूमि मौजा धम्बोला फला नवाघरा तहसील सीमलवाड़ा में स्थित है जिनके खसरा नम्बर 5993/1470, 1507, 1472, 1429 होकर रकबा क्रमशः 0.1296, 0.1376, 0.0324, 0.0324 हैक्टेयर है। प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी के बटवारे बाबत माननीय न्यायालय आप में मुकदमा चला था तथा आदेशानुसार बटवारा अनुसार यह भूमि प्रार्थीगण को प्राप्त हुई है। इस भूमि के आसपास अन्य काश्तकारों की भूमि स्थित है। तथा काश्त कार्य के समय वास्तविक सीमा को लेकर छोटा मोटी बातचित विवाद जैसी स्थिति बनती रहती है क्योंकि पटवारी साहब द्वारा बटवारा कर दिया गया है लेकिन वास्तविक रूप से सीमा की पत्थर गद्दी नहीं करवाए जाने से यह विवाद बना रहता है। प्रार्थना पत्र के साथ भूमि की जमाबंदी तथा नक्षे की नकले प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थीगण विवादों से बचने और शांति पुर्ण काश्त करने हेतु अपनी उपरोक्त भूमि आराजी नम्बर 5993/1470, 1507, 1472, 1429 होकर रकबा क्रमशः 0.1296, 0.1376, 0.0324, 0.0324 हैक्टेयर का आप न्यायालय के माध्यम से पत्थरगद्दी कर पत्थर लगाकर स्थायी सीमा चिन्ह लगाकर सीमा विवाद का वास्तविक हल कराया जाना उचित समझते ताकि प्रार्थीगण का अपनी भूमि की स्थिति को लेकर विवाद की संभावना नहीं रहे। प्रार्थीगण की आराजी, आराजी नम्बर


उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाड़ा

5993/1470, 1507, 1472, 1429 होकर रकबा क्रमशः 0.1296, 0.1376, 0.0324, 0.0324 हैक्टेयर का पत्थरगद्दी कर पत्थर लगाकर स्थायी सीमा चिन्ह लगाकर सीमा विवाद का हल नहीं किए जाने पर अकारण वाद विविधता बढ़ेगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण मोके पर आराजी नम्बर 5993/1470, 1507, 1472, 1429 होकर रकबा क्रमशः 0.1296, 0.1376, 0.0324, 0.0324 हैक्टेयर की वास्तविक सीमा को लेकर काश्त कार्य के समय छोटा मोटी बातचित विवाद जैसी स्थिति आसपास के खातेदार से कहासुनी की संभावना होना है। प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 5993/1470, 1507, 1472, 1429 होकर रकबा क्रमशः 0.1296, 0.1376, 0.0324, 0.0324 हैक्टेयर की पत्थर गद्दी हो जाने से प्रार्थीगण अपनी स्वयं की भूमि में निर्विवाद होकर उपज प्राप्त कर सकेंगे। प्रार्थीगण का अपनी भूमि आराजी नम्बर 5993/1470, 1507, 1472, 1429 होकर रकबा क्रमशः 0.1296, 0.1376, 0.0324, 0.0324 हैक्टेयर पर कब्जा काश्त पूर्व से होकर वर्तमान में भी बना हुआ है। अतः प्रकरण में मौजा धम्बोला फला नवाघरा में स्थित भूमि आराजी नम्बर 5993/1470, 1507, 1472, 1429 होकर रकबा क्रमशः 0.1296, 0.1376, 0.0324, 0.0324 हैक्टेयर के संबंध में तहसीलदार सीमलवाड़ा को भेजा जाकर सीमा विवाद पत्थर गद्दी कर पत्थर लगाकर, स्थायी सीमा चिन्ह लगाकर हल किया जाने आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी तहसीलदार सीमलवाड़ा को तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार सीमलवाड़ा का जवाब प्रस्तुत हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली दिनांक 23.07.2024 वास्ते बहस नियत की गयी। दिनांक 23.07.2024 को बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में पेमाईश के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किए हैं एवं तहसीलदार सीमलवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का जिस पक्षकार से विवाद रहता है उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसे में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत् पत्थरगद्दी स्वीकार करना न्यायोचित नहीं समझता हूँ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होवे। आदेश आज दिनांक 23/07/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपरसुद्ध अधिकारी  
सीमलवाड़ा